

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० : 155/2020(2020/00211)

अनवान :

1. बलवन्त कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा



बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. सुचित्रा महरिया पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- वकील श्री श्रवण सहारण I: वादी
श्री श्रवण सहारण II: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव नेठराना के चक 2 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 69/67 के मु०नं० 33 के किला नं० 21 से 25 की 1.265 है०, मु०नं० 41 के किला नं० 6, 7 की 0.506, किला नं० 14 ता 17 की 1.012 है०, किला नं० 24, 25 की 0.506 है० कुल 2.024 है० मु०नं० 42 के किला नं० 1 ता 5 की 1.265 है०, किला नं० 7 ता 13 की 1.771 है०, किला नं० 18 ता 23 की 1.518 है० कुल 4.554 है० मु०नं० 55 के किला नं० 1 ता 3 की 0.759 है०, किला नं० 8 ता 10 की 0.759 है० कुल 1.518 है० मु०नं० 56 के किला नं० 4 ता 7 की 1.012 है० इस प्रकार खाते का कुल योग 10.373 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र के नाम 160 हिस्सा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई कृषि भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र को अपने पिता कासीराम से व अपनी माता मोहरा देवी की मृत्यु के बाद विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि राजेन्द्र को महज कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि में मुझ वादी बलवन्त कुमार व प्रतिवादीया सं० 2 सुचित्रा महरिया का भी जन्म से हक हिस्सा है। वाद कृषि भूमि को वादी बलवन्त कुमार व प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र दोनों काश्त करते है। प्रतिवादीया सं० 2 ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपना हिस्सा अपने भाई व पिता के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया है व अपने हिस्से का कब्जा वादी सं० 1 को सम्भला दिया है एवं ना ही प्रतिवादीया सं० 2 ने कभी उपरोक्त कृषि भूमि को

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

काश्त किया है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 1 दोनों बहिरसा बराबर 1/2-1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जो बाद तर्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं० 3 परोकार राज ने जबाबदावा पेश किया है।

साक्ष्य वादी में वादी बलवन्त कुमार पुत्र राजेन्द्र के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 बीआरडब्ल्यु खाता सं० 69/67 सम्वत् 2075 से 78 प्रदर्श 2, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 2 बीआरडब्ल्यु सम्वत् 2058 से 62 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि में है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा उभयपक्षकारान बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 2 बीआरडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई कृषि भूमि है तथा प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र को अपने पिता कासीराम व माता मोहरा देवी की मृत्यु के बाद विरासतन प्राप्त हुई जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 2 बीआरडब्ल्यु सम्वत् 2058 से 62 प्रदर्श 3 करवाये जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा कासीराम वल्द जगुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 सदस्य प्रमाण पत्र में राजेन्द्र के वारिसान में पत्नि सुनीता देवी, एक पुत्र बलवंत कुमार व एक पुत्री सुचित्रा महरिया होना तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रतिवादिया सं० 2 सुचित्रा ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष त्याग देना अपने राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौही मोजा गांव नेठराना के चक 2 बीआरडब्ल्यु के खाता सं० 69/67 के मु०नं० 33 के किला नं० 21 से 25 की 1.265 है०, मु०नं० 41 के किला नं० 6, 7 की 0.506, किला नं० 14 ता 17 की 1.012 है०, किला नं० 24, 25 की 0.506 है० कुल 2.024 है० मु०नं० 42 के किला नं० 1 ता 5 की 1.265 है०, किला नं० 7 ता 13 की 1.771 है०, किला नं० 18 ता 23 की 1.518 है० कुल 4.554 है०



उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र० सं० 155/20 अनुवान बलवन्त कुमार बनाम राजेन्द्र आदि अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मु० नं० 55 के किला नं० 1 ता 3 की 0.759 है०, किला नं० 8 ता 10 की 0.759 है० कुल 1.518 है० मु० नं० 56 के किला नं० 4 ता 7 की 1.012 है० इस प्रकार खाते का कुल योग 10.373 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र के नाम 160 हिस्सा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है के मुताबिक राजीनामा वादी बलवन्त कुमार 0.8995 है० कृषि भूमि का व प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र को 1.1245 है० कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादिया सं० 3 सुचित्रा ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने पर बैंक रहन को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर यथावत रखते हुए उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में पेश किया गया।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़